प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2014**

विषय:- **जनपद इटावा स्थित सैफई हवाई पट्टी पर वी0आई0पी0 लाउंज के सामने उद्यानीकरण के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-269/बजट-आयोजनेत्तर/2014-15 दिनांक 01.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा स्थित सैफई हवाई पट्टी पर वी0आई0पी0लाउंज के सामने उद्यानीकरण के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 1729 हजार (रूपये सत्रह लाख उन्तीस हजार) मात्र अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	कोड सं0/मद का नाम	अनुपूरक मांग द्वारा व्यवस्थित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनरशि
10	2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनेत्तर- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 03-उद्यान	02-मजदूरी 09-विद्युत देय 29-अनुरक्षण 42-अन्य व्यय 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	865 115 125 188 436	865 115 125 188 436
		योग	**1729**	**1729**

(रूपये सत्रह लाख उन्तीस हजार) मात्र

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करने की कार्यवाही की जाय।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अवुमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

6- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

7- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

9- शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जनपदीय उद्यान अधिकारी तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

10-प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28.11.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/एन0बी0-1385(1)/58-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, इटावा।
(3) जिलाधिकारी, इटावा।
(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) जिला उद्यान अधिकारी, इटावा।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in